

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी सिविल रिट याचिका संख्या 12510/2017

1. नैपिन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, एच 1-864, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर-
भिवाड़ी- 301019, अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, अंबेडकर सर्किल, जनपथ, जयपुर
2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सर्किल-ए, भिवाड़ी

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री सुरेंद्र कुमार श्री ए.के. बब्बर की ओर से
उत्तरदाता(ओं) के लिए	:	श्री उमंग गुप्ता, श्री उपासना सिंह, श्री क्रांति गौर

माननीय श्री. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्री. जस्टिस भुवन गोयल

निर्णय

01/05/2024

अवनीश झिंगन, ज:-

1. यह याचिका मूल्यांकन आदेश दिनांक 24.01.2017 को रद्द करने के लिए दाखिल की गई है, जो राजस्थान वेल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 (संक्षिप्त रूप में 'अधिनियम') के तहत पारित किया गया था, जिससे ₹27,87,371/- की मांग उत्पन्न हुई।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत पंजीकृत था। मूल्यांकन वर्ष 2014-2015 के लिए रिटर्न दायर किया गया था जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (संक्षिप्त रूप में "आईटीसी") का दावा किया गया।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि मूल्यांकन आदेश एक प्रणाली द्वारा जनित आदेश है जो बिना किसी विचार-निर्माण के पारित किया गया है। रिटर्न में दावा किए गए आईटीसी को अस्वीकार करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया। आगे कहा गया है कि धारा 23 के प्रावधान अनुमानित मूल्यांकन से संबंधित हैं और इसकी प्रयोज्यता धारा 24 के अधीन है। आदेश के अनुसार, अधिनियम की धारा 24 के तहत कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।
4. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के पास अपील का उपाय उपलब्ध है। यह तर्क दिया गया है कि नोटिस जारी होने के बावजूद याचिकाकर्ता ने उत्तर नहीं दिया और जिन खातों की किताबों से दावा किए गए आईटीसी को प्रमाणित किया जा सकता था, उन्हें प्रस्तुत नहीं किया। तर्क यह है कि आईटीसी की स्वीकार्यता न होने के कारण जवाब में प्रतिबिंबित हो रही हैं, जोकि रिट याचिका के उत्तर में दाखिल की गई है।

5. आगे बढ़ने से पूर्व, यह उचित होगा कि प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए वैकल्पिक उपाय के आपत्ति पर विचार कर लिया जाए।

6. सुप्रीम कोर्ट ने **व्हर्लपूल कॉरपोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, (1998) एस.सी.सी. 1** में यह स्थापित किया है कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद रिट याचिका सुनने के लिए अपवाद निर्मित किए गए हैं। संबंधित पैराग्राफ नीचे उद्धृत है:-

“15. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय, मामले के तथ्यों के आधार पर, यह विवेकाधिकार रखता है कि रिट याचिका स्वीकार की जाए अथवा नहीं। किंतु उच्च न्यायालय ने अपने ऊपर कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं, जिनमें से एक यह है कि यदि कोई प्रभावी और सक्षम उपाय उपलब्ध है, तो सामान्यतः उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन वैकल्पिक उपाय को इस न्यायालय ने सदा बाधा के रूप में नहीं माना है, विशेषकर कम से कम तीन परिस्थितियों में, अर्थात्— जहां रिट याचिका मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए दायर की गई हो, या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, या जहां आदेश अथवा कार्यवाही पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से बाहर हो अथवा किसी अधिनियम का स्वरूप चुनौती दी जाती हो। इस विषय पर पर्याप्त न्यायिक दृष्टांत उपलब्ध हैं, लेकिन फॉरेंसिक व्हर्लपूल के इस घूर्णन को कम करने के लिए हम संविधान कानून के विकासात्मक दौर के कुछ पुराने निर्णयों पर निर्भर करेंगे, क्योंकि वे आज भी मान्य हैं।”

7. प्रतिवादित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह एक कंप्यूटर जनित गणना है। न तो नोटिस जारी करने और अनुपालन न करने के संबंध में मूल तथ्यों का उल्लेख आदेश में है और न ही अस्वीकृति के कारणों का।

8. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड. एवं अन्य बनाम श्री मसूद अहमद खान एवं अन्य, 2010(9) एससीसी 496** में यह माना है कि प्रत्येक न्यायिक/अर्ध-न्यायिक आदेश का समर्थन तर्कों से किया जाना चाहिए, जिनका अभिलेखन लिखा जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का संचालित भाग निम्नानुसार है:—

क. भारत में न्यायिक प्रवृत्ति सदैव कारणों के अभिलेखन की रही है, यहाँ तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी यदि ऐसे निर्णय किसी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

ख. एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारणों का अभिलेखन करना आवश्यक है।

ग. कारणों के अभिलेखन पर जोर देने का उद्देश्य न्याय के व्यापक सिद्धांत की सेवा करना है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए।

घ. कारणों का अभिलेखन न्यायिक, अर्ध-न्यायिक अथवा प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध प्रतिबंध के रूप में भी कार्य करता है।

ङ. कारण यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय लेने वाले द्वारा प्रासंगिक आधारों पर तथा बाहरी विचारों की अनदेखी कर विवेक का प्रयोग किया गया है।

च. निर्णय प्रक्रिया में कारणों का अभिलेखन लगभग एक अनिवार्य घटक बन गया है, जो न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की सेवा करता है।

छ. कारण उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।

ज. सभी देशों में चल रही न्यायिक प्रवृत्ति, विधि के शासन और संविधानिक संचालन के प्रति प्रतिबद्धता के तहत, प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत निर्णयों के पक्ष में है। यह न्यायिक निर्णय निर्माण का लगभग जीवनतंतु बन गया है, जो इस सिद्धांत को प्रमाणित करता है कि तर्क ही न्याय की आत्मा है।

झ. न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक मत इन दिनों न्यायाधीशों और अधिकारियों की भिन्नता के कारण भिन्न हो सकते हैं, जो उन्हें प्रस्तुत करते हैं। ये सभी निर्णय एक सामान्य उद्देश्य की सेवा करते हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रासंगिक तथ्यों पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया गया है। यह न्यायिक प्रणाली में वादकारियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

जे. तर्क पर जोर देना न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए आवश्यक है।

ज. यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपने निर्णय प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णयकर्ता पूर्व के सिद्धांत या क्रमिकता के सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान है या नहीं।

ट. निर्णय के समर्थन में कारण संक्षिप्त, स्पष्ट और ठोस होने चाहिए। कारणों का दिखावा या "रबर-स्टैम्प कारण" वैध निर्णय-निर्माण प्रक्रिया के समान नहीं माना जा सकता।

ठ. इसमें कोई संदेह नहीं कि पारदर्शिता न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक का आवश्यक तत्व है। निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णयकर्ताओं को गलतियों के प्रति कम संवेदनशील बनाती है, बल्कि व्यापक जांच के अधीन भी करती है।

ड. चूंकि कारणों के अभिलेखन की आवश्यकता निर्णय प्रक्रिया में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उत्पन्न होती है, अतः यह आवश्यकता अब मानवाधिकारों का

लगभग एक घटक बन गई है और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना जाता है।

द. सभी सामान्य विधि क्षेत्रों में, न्यायिक निर्णय भविष्य के लिए मिसाल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः, विधि के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण बताने की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह वस्तुतः "न्यायिक प्रक्रिया" का एक अंग है।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह गिल एवं अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य, ए.आई.आर. 1978 एससी 851 में यह माना कि—

"8. दूसरा समान रूप से महत्वपूर्ण पहलु यह है कि जब कोई सांविधिक पदाधिकारी किसी आदेश को कुछ तथ्यों के आधार पर पारित करता है, तो उसकी वैधता उन्हीं कारणों पर परखी जानी चाहिए, जिनका उसमें उल्लेख किया गया है, और इसे बाद में किसी हलफनामे या अन्य रूप में दिए गए नए कारणों से नहीं जोड़ा जा सकता। अन्यथा, जो आदेश प्रारंभ में ही दोषपूर्ण था, वह अदालत में चुनौती पर नए कारणों से वैध नहीं ठहराया जा सकता।

गोरधनदास भांजी ए.आई.टी. 1952 एस.सी. 16 में आगे कहा गया था—

‘आदेश पुरानी शराब नहीं होते जो समय के साथ बेहतर हो जाएं।’

10. वर्तमान मामला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, मनोयोग न लगाने की स्थिति में मांग उत्पन्न करने का है, और यह उन अपवादों के दायरे में आता है जिनके तहत वैकल्पिक उपाय होने के बावजूद रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।

11. एक ओर, आकलन आदेश अधिनियम की धारा 23(1) के तहत एक अनुमानित आकलन के रूप में पारित किया गया, और साथ ही साथ आईटीसी को अस्वीकार कर मांग उत्पन्न की गई।

12. प्रतिवादित आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

13. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(भुवन गोयल), जे

(अवनीश झिंगन), जे

अनु /चंदन/51 क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate

